

कॉन/आइआरसी/SE/104/Vol.-VII/


दिनांक: 18.12.2024

Sub: Newspaper Publication of Notice to Shareholders for transfer of Equity Shares to IEPF Authority.


Please find enclosed the copies of the Newspaper Publication of Notice to Shareholders for transfer of Equity Shares to IEPF Authority, published in the newspapers on 18.12.2024 in 'Indian Express and Financial Express', in English language and in 'Jansatta' in Hindi language, in all India edition.

This is for your information and record please.

Thanking you.



भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का नगरण उपकरण) (A Navratna Undertaking of Govt. of India)
(CIN : LE3011DL1988GO0030915)
Regd. Office & Investors Relation Centre : CONCOR Bhawan,
C-3, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi-110 076
Ph.: 91-11-41222500/600, Email: investorrelations@concorindia.com, Website: www.concorindia.co.in



NOTICE TO SHAREHOLDERS
TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO
INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") as amended from time to time, the Interim Dividend declared for the financial year 2017-18, which remained unclaimed for a period of seven years will become due to be credited to the IEPF on 01.03.2025. The corresponding shares on which said dividend has remained unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

The Company will not transfer such shares to the IEPF Authority where there is a specific order of Court/tribunal restraining any transfer of such shares or where the shares are hypothecated/pledged under the Depositories Act, 1996.

In compliance to the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders and the details of such shares liable to be transferred to IEPF are also made available on its website. Shareholders concerned may refer to the web-link: https://www.concorindia.co.in/assets/pdf/unpaid_note.PDF to verify the details of their unencashed dividend(s) and weblink: <https://www.concorindia.co.in/assets/pdf/IEPFA.pdf> to verify the details of the shares liable to be transferred.

Shareholders are requested to claim the Interim Dividend declared for the financial year 2017-18 and onwards before the same becomes due for transfer to the IEPF.

Concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer those shares in favour of IEPF Authority. The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the DEMAT account of the IEPF Authority.

The shareholders may further note that the details made available by the Company on its website (https://concorindia.co.in/assets/pdf/CONCOR_IEPF.pdf) shall be deemed as adequate notice in respect of above matter of transfer of shares to IEPF Authority.


In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before 01.03.2025, the Company with a view to adhering with the requirements of the Rules, will transfer the unclaimed Interim Dividend of FY 2017-18 to the IEPF by the due date i.e. 31.03.2025. The corresponding shares, on which dividend is unclaimed for seven consecutive years, shall also be transferred to IEPF Authority without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules.


Any shareholder(s)/person(s) who has/have any claim(s)/queries in respect of such shares or dividend or for any clarification on the above matter, may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, New Delhi-110062; Ph.: 011-29961281/82/83; email: beetalrta@gmail.com or concor@beetalfinancial.com.

For Container Corporation of India Limited

Place: New Delhi, India Sd/-
Date : 13.12.2024 Executive Director (Finance) & CS and CFO



भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का नगरल उपक्रम) (A Navratna Undertaking of Govt. of India)
(रजिस्ट्रेशन : L63011DL1989GOI30015)
पंजीकृत कार्यालय एवं निवेशक संबंध केंद्र : क्रांतीनगर,
सी-3, नया राउंड, बाबूसागर अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110078
फोन: 01-11-41222500/800, ईमेल: investorrelations@concorindia.com, वेबसाइट: www.concorindia.co.in



शेयरधारकों के लिए सूचना
निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण

एतद्वारा शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 ("नियम") के समय-समय पर संशोधित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु घोषित अंतरिम लाभांश, जो सात वर्षों की अवधि से अदावाकृत है, को 01.03.2025 को आईईपीएफ में जमा किया जाएगा। ऐसे तदनुसूचक शेयर, जिन पर लगातार सात वर्षों से लाभांश का दावा नहीं किया गया है, को भी नियमों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार अंतरित किया जाएगा।

कम्पनी ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित नहीं करेगी जिन पर न्यायालय/अधिकरण का किसी अंतरण के अवरोधक का विशिष्ट आदेश हो अथवा डिपोजिटरीज अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत शेयर बन्धक/गिरवी हों।

नियमों के अनुपालन में कम्पनी ने सम्बन्धित शेयरधारकों को अलग-अलग सूचित कर दिया है तथा आईईपीएफ को अंतरित किये जाने वाले ऐसे शेयरों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। सम्बन्धित शेयरधारक अपने नगदीकरण न कराए गए लाभांश के विवरण के सत्यापन हेतु वेब-लिंक: https://www.concorindia.co.in/assets/pdf/unpaid_note.PDF देख सकते हैं तथा अंतरित किए जाने वाले शेयरों के विवरण के सत्यापन हेतु वेब-लिंक: <https://www.concorindia.co.in/assets/pdf/IEPFA.pdf> देख सकते हैं।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा उसके पश्चात घोषित किए गए अंतरिम लाभांश का दावा उसे आईईपीएफ में अंतरित किए जाने से पूर्व करें।

सम्बन्धित शेयरधारक, जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं तथा जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किए जाने हैं, कृपया ध्यान दें कि कम्पनी आईईपीएफ में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य हेतु उनके पास उपलब्ध मूल प्रमाणपत्रों के स्थान पर डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी तथा इनके जारी होने पर कम्पनी डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्रों को डीमैट रूप में बदलने तथा इन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में अंतरण के बारे में निगमित गतिविधि के माध्यम से डिपोजिटरी को सूचित करेगी। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो मूल शेयरधारक के नाम में पंजीकृत हैं, वे स्वतः निरस्त हो जायेंगे तथा उन्हें विक्रय योग्य नहीं माना जाएगा। सम्बन्धित शेयरधारक, जिनके पास अभी तक भौतिक रूप में शेयर हैं, कृपया ध्यान दें कि कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते के पक्ष में शेयरों के अंतरण हेतु निगमित गतिविधि के माध्यम से डिपोजिटरी को सूचित करेगी।

शेयरधारक कृपया आगे ध्यान दें कि कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट (https://concorindia.co.in/assets/pdf/CONCOR_IEPF.pdf) पर उपलब्ध कराये गये विवरण को आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के अंतरण के उपरोक्त मामले के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

यदि कम्पनी को सम्बन्धित शेयरधारक से 01.03.2025 तक या उससे पूर्व कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो कम्पनी नियमों की आवश्यकताओं को पालन करने को ध्यान में रखते हुए निर्धारित तिथि अर्थात् 31.03.2025 तक वित्तीय वर्ष 2017-18 के अदावाकृत अंतरिम लाभांश का आईईपीएफ में अंतरण कर देगी। तदनुसूचक शेयरों, जिन पर लगातार सात वर्षों से लाभांश अदावाकृत है, का भी आगे कोई सूचना दिए बिना आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरण कर दिया जायेगा।

कृपया ध्यान दें कि अदावाकृत लाभांश राशि तथा आईईपीएफ में अंतरित किए गए शेयरों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। शेयरधारक द्वारा लाभांश तथा आईईपीएफ को अंतरित तदनुसूचक शेयरों और ऐसे शेयरों पर मिलने वाले सभी लाभों, यदि कोई हो, का दावा संगत नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण के पास किया जा सकता है।

कोई भी शेयरधारक(कों)/व्यक्ति(यों) जो ऐसे शेयरों अथवा लाभांश के संबंध में कोई भी दावा(यें)/पूछताछ करना चाहते हैं या उपरोक्त मामले पर कोई भी स्पष्टीकरण चाहते हैं, वे कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एवं कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि. बीटल हाउस, तीसरा तल, 99, मदनगिर, लोकल शॉपिंग सेन्टर के पीछे, नई दिल्ली-110062, फोन: 011-29961281/82/83, ई-मेल: beetalra@gmail.com या concor@beetalfinancial.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली, भारत हस्ता./-
दिनांक: 13.12.2024 कार्यकारी निदेशक (वित्त) व कम्पनी सचिव और सीएफओ